न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—42/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/42)

1. रामकिशन पुत्र अमरा, जाति कुमावत, निवासी शेषपुरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. काना पुत्र जगन्नाथ
2. भैरू पुत्र गौरू
3. गोपाल पुत्र अमरा
4. छोटी देवी पुत्री अमरा (तलबी बंद दिनांक 15.10.24)
   समस्त जाति कुमावत, निवासी शेषपुरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2022 राजस्व वाद संख्या 47/2022.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम कुमावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री हनुमान प्रसाद, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री एन0एस0राजावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03
4. रेस्पोडेंट संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 08.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में अप्रार्थी/अपीलांट व अप्रार्थी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए। दिनांक 5.7.2022 को अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से पावर पेश किया गया तथा शेष के नोटिस तलबी व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगाए जाने के आदेश दिए तथा पत्रावली वास्ते जवाब एवं शेष की तलबी जरिए रजिस्टर्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

नोटिस चलती रही दिनांक 1.11.2022 तक उपरोक्त अनुसार ही पत्रावली नियत होती रही तथा दिनांक 22.11.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित करते हुए तथा अप्रार्थी/अपीलांट का जवाब बंद कर दिया गया और उसी दिन बहस सुन ली गई व पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु नियत की गई तथा दिनांक 30.11.2022 को प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना किए बगैर आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विरोधाभाषी कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया क्योंकि एक तरफ रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी रास्ते को अवरूद्ध करना कथन करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में अंकन कर रहा है दूसरी ओर अपने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से नए रास्ते की मांग कर रहा है। इस प्रकार विरोधाभाषी कथनों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं था क्योंकि यदि रास्ता अवरूद्ध हो तो उसको खुलाने का अधिकार धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी, केकडी के उक्त प्रकरण की फर्दकाम का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि पत्रावली बहस हेतु पूर्ण ही नहीं थी, क्यों कि दिनांक 1.11.2022 को पत्रावली तलबी व जवाब हेतु नियत की गई थी, ना तो रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 की तलबी की गई है और ना ही उनके तामीली अथवा एक पक्षीय कार्यवाही बाबत् कोई आदेश पारित किया हुआ है साथ ही अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने हेतु ना तो कोई अंतिम अवसर दिया है और ना ही कोस्ट पर कोई अवसर दिया हुआ है। जिससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.11.2022 की फर्दकाम जो बाद में लिखी गई है, जो फर्दकाम में भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट सरकारी नियम 69 की पालना किए बगैर मंगवाई गई है, क्योंकि तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट बाबत अपीलांट को कोई नोटिस तामील नहीं करवाया। अपीलांट के नोटिस पर कूटरचित तामीली करवा कर मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गई है। उक्त एक तरफा मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया के बाहर जाकर आदेश पारित किया है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 729 पर कभी भी अपीलांट के खसरा नम्बर 730 एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की आराजी खसरा नम्बर 734 एवं सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 733 गै0मु0 रास्ते से सीधा आगे जाते हुए खसरा नम्बर 745 से होकर व खसरा नम्बर 1128/742 के ऊपर वाले रास्ते से होते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 व अन्य काश्तकार जिनकी खातेदारी आराजी है, वर्षों से आते जाते रहे है, फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेतों में जाने के लिए सुविधा के लिए प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सुविधा के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता है केवल धारा 251–ए में यदि खातेदारी खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं हो तो ही रास्ता दिया जा सकता है। विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में विधमान कदीमी रास्ता जो कि राजस्व मानचित्र में तरमीम है, को किसी प्रकार से अवरूद्ध कर दिया जाता है तो उसे खुलवाए जाने के लिए पृथक से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विधिक प्रावधान एवं विधिक प्रक्रिया विधमान करते हैं परंतु उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा आदेश 6 नियम 2 सी0पी0सी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर विधि एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

क्षेत्राधिकार के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा एक पक्षीय एवं विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किए जाने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को पुनः एक पक्षीय रूप से स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश दिनांक 9.12.2022 पारित किया है जो कि पूर्णतया निरस्त फरमाए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा संख्या 729 रकबा 0.83 है0 किस्म चाही 2 खड्डा वाके ग्राम शेषपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा न ही वास्ता व सरोकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फुट चौडा है, जो गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए सरकारी सिवायचक खसरा नम्बर 733 में से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी खसरा नम्बर 730 रकबा 0.49 है0 किस्म चाही उत्तम व जाव उत्तम एंव अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी उत्तम की बीच की मेड पर स्थित है, एवं प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता उक्त खसरा नम्बर 732 व खसरा नम्बर 733 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर मौजूद है। प्रार्थना पत्र के साथ कदीमी रास्ते को नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में है जिसे अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.6.2022 को हकाई करके बंद कर दिया, जिससे प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात में जाने आने का एक मात्र कदीमी रास्ता बंद हो गया और प्रार्थी को उक्त आराजीयात में फसल बोने के लिए जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से आराजीयात बिना काश्त ही पड़ी रह जाएगी। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से काफी मिन्नते की कि उक्त रास्ते को बंद मत करों लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने। प्रार्थी को उक्त एक मात्र कदीमी रास्ता बंद होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड रहा है, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त कदीमी रास्ता जो कि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर स्थित है जो करीब 20 फुट चौडा है जिसे अप्रार्थीगण ने हकाई कर अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी ने पुनः दिनांक 15.6.2022 को अप्रार्थीगण से रास्ता अवरूद्ध नहीं करने संकरा नहीं करने एवं बैलगाडी, ट्रेक्टर पशुओं आदि के आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने धमकियां दी व लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गए। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर स्थित कदीमी रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे एवं कृषि उपकरण ट्रेक्टर, बेलगाडी व जानवर वगैरह आने जाने में बाधा नहीं पहुंचाए। वर्णित आराजी में आने जाने का वर्तमान में विद्यमान एक मात्र कदीमी रास्ता जो 20 फुट चौडा है को अवरूद्ध कर रखा है को खुलासा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में भी रास्ता इंद्राज खसरा नम्बर 733 व खसरा नम्बर 730 व खसरा नम्बर 734 की मध्य की मेड पर करवाया जाना आवश्यक है एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र में रास्ता दिए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए आर0टी0एक्ट में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 04 के अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

भी उपस्थित हुए किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बंद किया है तथा अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवायी गयी, फिर भी उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी बाबत् तहसीलदार, केकड़ी से मौका रिपोर्ट तलब की है तथा मौके पर अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए तथा मौका रिपोर्ट गॉव के अन्य मौतबिरान के समक्ष तैयार करके, पढ़ कर व सभी के हस्ताक्षर करवा कर तैयार की गई है तथा जो रास्ता बाबत् आदेश पारित किये है जो धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रमुख तत्वों के अनुसार निकटतम व लघुत्तम एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी विंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में नियत दिनांक 5.7.2022 पश्चात अप्रार्थी की इंतजार तामील हेतु दिनांक 21.7.2022 की पेशी नियत की गई। उक्त प्रकरण में आगामी दिनांक 12.08.2022, 22.08.2022, व 01.09.2022 नियत की गई। दिनांक 01.09.2022 को शेष अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये तथा आगामी पेशी 20.09.2022 नियत की गई।दिनांक 20.09.2022 को अप्रार्थी ने जवाब हेतु अवसर चाहा तथा पत्रावली पेशी दिनांक 17.10.2022 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली आगामी दिनांक 17.10.2022, 01.11.2022 हेतु नियत की जाकर आगामी पेशी दिनांक 22.11.2022 नियत की गई। दिनांक 22.11.2022 को अपीलांट व वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 की तलबी पूर्ण हुए बिना जवाब के प्रकरण में बहस सुन कर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 29.11.2022 नियत कर आगामी पेशी दिनांक 30.11.2022 में प्रकरण पर निर्णय पारित कर दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 03 को समुचित जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 हेतु भी पत्रावली पर कहीं पर भी अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 03 को कोई नोटिस संबंधित सूचित किया गया हो यह आदेशिका में अंकित नहीं है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 03 की अनुपस्थिति में दिनांक 21.09.2022 को एकपक्षीय रूप से बनाई गई है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलांट के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है तथा मौका रिपोर्ट भी उनकी अनुपस्थिति में ही तैयार की गई है। विधि अनुसार नियम 69 के तहत् आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू– अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवायेगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियॉ आंमत्रित करेगा। वर्तमान प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं अर्थात पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के सरकारी नियम 69 की अवहेलना की है। उक्त नियम के अनुसार उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उपरोक्त कारणों से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 (425/2022) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में दिनांक 29.11.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

28/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner